न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/62

1. मातादीन पुत्र स्व0 फूलचन्द जाति जांगिड ब्राहम्ण (खाती) निवासी ढाणी कानूनगो वाली तन होलावास, तहसील बानसूर, जिला अलवर, हाल जिला कोटपूतली–बहरोड। (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1. विशम्बरलाल पुत्र किशोरीलाल,
2. श्यामलाल पुत्र किशोरीलाल,
3. सुनील कुमार पुत्र किशोरीलाल,
4. अनिल कुमार पुत्र किशोरीलाल,
5. किशोरीलाल पुत्र स्व0 रामजीलाल, जाति खाती, निवासी ढाणी कानूनगो वाली, तहसील बानसूर जिला अलवर, हाल जिला कोटपूतली–बहरोड। (राज0)
6. तहसीलदार तहसील बानसूर, जिला अलवर, हाल जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर कोटपूतली–बहरोड दिनांक 15.05.2024 मिसल संख्या 237/2023 उनवानी मातादीन बनाम तहसीलदार बानसूर जिसके द्वारा अपील मीमों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 96 सी0पी0सी0 खारिज कर अपीलांट की अपील खारिज की गई व तहसीलदार बानसूर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1858 दिनांक 16.06.2023 यथावत रखा गया।

उपस्थित :–

1. श्री शिव सिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री सुनिल कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –20.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 15.05.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने न्यायालय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1858 दिनांक 16.06.2023 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0) ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2024 द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाकर अपील खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 15.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट मातादीन पुत्र स्व. फूलचन्द द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2024 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय जिला कलेक्टर कोटपूतली बहरोड दिनांक 15.5.2024 विधि, विधान एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि पक्षकारान के मध्य विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का सक्षम न्यायालय में लम्बित हो तो समरी प्रोसेडिंग्स बाबत नामान्तरकरण को स्टे कर देना चाहिये व नामान्तरकरण तस्दीक हो गया हो तो उस नामान्तरकरण को खारिज कर नामान्तरकरण प्रक्रिया को वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रस्थगित (Abeyance) रखी जानी चाहिये। इस अहम कानूनी बिन्दू को समझे बिना अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर कोटपूतली बहरोड द्वारा पारित निर्णय कानून व न्याय के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बरान 715 रकबा 0.10 है०, 716 रकबा 1.51 है0 के सम्बन्ध में नियमित वाद संख्या 90/1987 उनवानी मातादीन बनाम छीतर व अन्य पूर्व में न्यायालय सहायक जिलाधीश बानसूर (अलवर) के समक्ष लम्बित था। जिसमें निर्णय दिनांक 6.3.1997 को वादी/अपीलांट का वाद डिक्री किया जाकर वादी मातादीन को वादग्रस्त भूमि का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित कर वाद में प्राथमिक डिक्री व दिनांक 26.2.2001 को अन्तिम डिक्री पारित की गई थी व राजस्व रिकार्ड में डिक्री की अनुपालना में अमल किया गया। वादी अपने हिस्से 1/2 भूमि पर आज भी काबिज काश्तकार है। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.2.2001 के विरुद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट के हकपूर्वाधिकारियों द्वारा अपील संख्या 80/2007 न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रथम अपील उनवानी छीतर व अन्य बनाम मातादीन पेश की। जिसे निर्णय दिनांक 1.11.2012 को आंशिक रुप से स्वीकार कर मूलवाद परिक्षण बाबत् न्यायालय को रिमाण्ड किया गया/क्षेत्राधिकार परिवर्तन से उक्त वाद सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष आज भी वास्ते तामील प्रतिवादीगण 6 व 7 जवाब दावा लम्बित है। इस अहम तथ्य को नजर अंदाज कर पारित प्रश्नाधीन आदेश/निर्णय कानून व न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकुल होने के कारण निरस्तनीय है।

वादी/हाल अपीलांट ने परिक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष मूलवाद रिमाण्ड होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0 अधिनियम पेश किया। जिसे स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया गया कि वे मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त वाद में तहसीलदार बानसूर भी पक्षकार वाद है। परिक्षण न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा से पीड़ित होकर प्रतिवादीगण ने अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष अपील संख्या 87/2023 पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा की कार्यवाही दिनांक 9.6.2023 को खारिज करवा दी गई। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.6.2023 के विरुद्ध वादी/अपीलांट ने निगरानी याचिका न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष पेश की, जिस पर निगरानी/टी0ए/3358/2023/अलवर दर्ज कर निर्णय दिनांक 11.8.2023 को पारित किया गया, जिसमें निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 9.6.2023 निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित इस निर्देश के साथ किया कि दोनों पक्षों को सुनकर दो माह में आवश्यक रुप से निस्तारण करें। तब तक उभय पक्षकारान मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.8.2023 की अनदेखी कर पारित प्रश्नाधीन निर्णय जिला कलेक्टर कोटपूतली बहरोड विरुद्ध कानून होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त सभी प्रकरणों में तहसीलदार बानसूर पक्षकार रहे है, जिन्हें

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्षकारों के मध्य नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष लम्बित होने व राजस्व मण्डल द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पक्षकारों को प्रतिबन्धित कर रखा है। जिन्होंने प्रश्नाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व वादी/हाल अपीलांट को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया व विपक्षीगण के पक्ष में प्रश्नाधीन नामान्तरकरण गुप्त रुप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर स्वीकार महज विपक्षी को लाभ गलत व अनुचित रुप से प्रदान किया है। जो निरस्तनीय है। नामान्तरकरण अधीन कृषि भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक जिलाधीश बानसूर तत्कालीन जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 90/1987 उनवानी मातादीन बनाम छीतर वगै० से वादी/अपीलांट मातादीन पुत्र फुलचन्द को भूमि वादग्रस्त के हिस्से 1/2 का व विपक्षीगण के हकपूर्वाधिकारीगण को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था अर्थात भूमि विवादग्रस्त पक्षकारान की पैत्रिक भूमि है जिसमें अपीलान्ट का बर्थ राईट है उक्त निर्णय के विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा अपील सक्षम न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर के समक्ष पेश किये जाने पर निर्णय दिनांक 1.11.2012 को प्रकरण परिक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया जो आज भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर कोटपूतली-बहरोड के समक्ष लम्बित है। इस तथ्य को नज़र अदांज कर नामान्तरकरण संख्या 1858 पर तहसीलदार बानसूर का आदेश दिनांक 16.6.2023 विधि विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि namo dat quod habit कोई भी व्यक्ति अपने हक से उँचा हक अन्तरित नहीं कर सकता है। अभी तक सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष पक्षकारान के मध्य भूमि विवादग्रस्त में हक, स्वत्व व अधिकारों की घोषणा होना शेष है। वाद के लम्बित रहते हुए lispendancy में निष्पादित उपहार पत्र/दानपत्र द्वारा किशोरीलाल बहक विशम्बरदयाल, श्यामलाल, सुनील कुमार व अनिल कुमार पुत्रान किशोरीलाल विधि विरुद्ध वास्तविक हिस्से से अधिक का किया गया है दानपत्र निष्पादित कर्ता का भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 716 रकबा 1.51 हैक्टेयर में हिस्सा 2/3 न हो कर मात्र हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 1/2 है किशोरीलाल पुत्र रामजीलाल द्वारा निष्पादित पंजीकृत दानपत्र/उपहार पत्र दिनांक 12.6.2023 lispendancy में निष्पादित कानून विरुद्ध दस्तावेज है जो अपीलांट के हक, स्वत्व व अधिकारों के विरुद्ध क्लेदम बेअसर होकर प्रारम्भ से अवैध व प्रभाव शून्य है। इसलिये lispendancy के दौरान तहसीलदार बानसूर द्वारा तस्दीक व स्वीकार प्रश्नाधीन नामान्तरकरण निरस्तनीय हैं जिला कलेक्टर कोटपूतली बहरोड ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट को सुरक्षा देकर अपीलान्ट की अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र leave to file appeal अन्तर्गत धारा 96 सी०पी०सी० 1908 को खारिज कर अपीलान्ट की अपील को कानून विरुद्ध खारिज करने में अपने विवेक व क्षेत्राधिकार का विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया हैं इसलिये निरस्तनीय है।

जिला कलेक्टर कोटपूतली बहरोड ने उनके समक्ष अपीलांट मातादीन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लिव टू फाईल अपील अन्तर्गत धारा 96 सी०पी०सी० 1908 को समझे बिना मनमाने तौर पर खारिज करने में अपने विवेक व क्षेत्राधिकार न्याय सम्मत उपयोग नहीं किया है कानूनन पीड़ित पक्षकार को अपील पेश करने का वैधानिक अधिकार है जिसके लिये लोकस एण्ड परसन का अपीलाधीन निर्णय/आदेश से पीड़ित होने की जांच करना परम आवश्यक है, उनके समक्ष अपीलाधीन नामान्तरकरण की भूमि अपीलांट की पैत्रिक भूमि है, जिसकी पुष्टि तत्कालीन खतौनी सम्वत् 2013 से 2016 ग्राम खोहरी, तहसील बानसूर जिला अलवर के तत्कालीन खसरा नम्बरान 257 रकबा 5 बिस्वा, 258 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा अंकन कॉलम संख्या 4 (भूमि अधिकारी) शिवपाल सिंह जागीरदार थे व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कॉलम 5 (नाम कृषक विवरण सहित) मोहन खाता संख्या 188 व काश्त (अपीलांट के पिता) फूलचन्द (रेस्पोडेन्ट के हकपूर्वाधिकारी) रामजीलाल पि० झूँथाराम खाती सा. होलावास उप कृषक साल 3 दर्ज रिकार्ड है अर्थात नामान्तरकरण अधीन कृषि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से जागीरदार शिवपालसिंह के जागीर की भूमि थी व उपकृषक फूलचन्द रामजीलाल पि० झूँथाराम खाती थे। जागीर पुनर्ग्रहण होने पर जागीरदार के उप कृषक "बाई ओपरेशन ऑफ लॉ" सरकार को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हो गये तथा लैण्ड रिफार्मस एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 की धारा 22 के तहत जागीरदार के समस्त हक समाप्त होकर सरकार में निहित हो गये। इस कानूनी बिन्दू को समझे बिना व विवेचन किये बिना अपीलांट जो कि जागीरदार के उपकृषक फूलचन्द का जायन्दा पुत्र है जिसका नामान्तरकरण अधीन भूमि में हिस्सा 1/2 निहित है, को पीड़ित पक्षकार होना व भूमि विवादग्रस्त में लोकस नहीं होना मानकर अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी०पी०सी० को खारिज कर अपील को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है।

पक्षकारान के मध्य नामान्तरकरण अधीन भूमि के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के समक्ष लम्बित है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निगरानी/टी.ए/3358/2023/अलवर में पारित निर्णय दिनांक 11.8.2023 आज भी प्रभावी है, जिसके तहत विवादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को प्रतिबन्धित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर कोटपूतली ने इस अहम कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी०पी०सी० को खारिज कर प्रश्नाधीन आदेश गलत, अनुचित व मनमाना कानून विरुद्ध पारित किया है, जो न्याय हित में खारिज किये जाने योग्य होने के कारण खारिज किये जाने तथा प्रकरण अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटपूतली–बहरोड ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को माननीय उच्चतम न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा राजस्व मण्डल द्वारा पारित तथाकथित न्यायिक सिद्धान्त के प्रतिकुल प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर कोटपूतली बहरोड (राज०) दिनांक 15.5.2024 व तहसीलदार बानसूर, अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड बाबत नामान्तरकरण संख्या 1857 दिनांक 14.6.2023 निरस्त फरमाया जावे।

6. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी साबिक खसरा नंबर 257 रकबा 5 बीघा, 256 रकबा 5 बिस्वा जिसके बंदोबस्त 2021 में बने नंबर 578 रकबा 6 बीघा वाके मौजा खोहरी से हाल बंदोबस्त से सन् 2004 में बने हाल खसरा नंबर 715/0.10, 716/1.51 वाके मौजा खोहरी रेस्पोडेंट किशोरी पुत्र रामजीलाल व उनके भाई रामस्वरूप, छीत्तरमल पुत्रान रामजीलाल व उनके पिता स्व. श्री रामजीलाल पुत्र झूथाराम जांगिड की खातेदारी व कब्जे, काश्त की भूमि है। जिस पर कदीमी से ही रामजीलाल पुत्र झूथा बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे थे एवं उनकी मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिस किशोरी लाल, रामस्वरूप, छीत्तरमल पुत्रान रामजीलाल बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हुए। उक्त आराजी किशोरी लाल के द्वारा अपने बच्चों के नाम करने के उपरांत उक्त इन्तकाल जरिये नामान्तकरण सं. 1858 दिनांक 16.06.2023 को उनके विधिक वारिसान के हक में तहसीलदार महोदय द्वारा तस्दीक किया गया। अपीलांट व उनके बुजुर्गान का उपरोक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उनके द्वारा फर्जकारी कर न्यायालय सहायक कलेक्टर बानसूर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया एवं बिना रेस्पोडेंट व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उनके बुजुर्गान यानि किशोरी लाल, रामस्वरूप, छीत्तरमल पुत्रान रामजीलाल को बिना जानकारी के उपरोक्त वाद डिक्री करवाकर स्वयं के नाम 1/2 हिस्से में दर्ज करवाया जिसके विरुद्ध किशोरीलाल, रामस्वरूप पुत्रान रामजीलाल ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की एवं उभय पक्षों को सुनने के उपरांत अपील न्यायालय द्वारा उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बानसूर के द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायालय यानि सहायक कलेक्टर बानसूर के समक्ष प्रकरण प्रतिपेक्षित किया एवं अपील न्यायालय द्वारा सहायक कलेक्टर बानसूर के द्वारा पारित निर्णय डिक्री को निरस्त किये जाने के उपरांत धारा 144 सीपीसी के तहत अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के पूर्व की स्थिति बहाल की गई एवं उसी अनुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में किशोरीलाल, रामस्वरूप, छीत्तरमल का नाम संपूर्ण आराजी में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा था। उपरोक्त नामान्तकरण में अपीलांट के किसी प्रकार के कोई हित निहित नहीं है एवं न ही अपीलांट को उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 1858 दिनांक 16.06.2023 को चुनौती देने का अधिकार है, क्योंकि केवल प्रथम वर्ग के वारिसान को ही उपरोक्त विरासत नामान्तकरण को चुनौती देने का हक है एवं अपीलांट छीत्तरमल के प्रथम वर्ग के वारिसान की श्रेणी में नहीं आते है, इसलिए उन्हें उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी हक नहीं होने के कारण अपील चलने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर कोटपूतली बहरोड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2024 को जो विधि अनुसार सही पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं कि गई है, क्योंकि हम रेस्पोडेंटगण द्वारा अपना जवाब 96 सी.पी.सी. पेश कर जाहिर किया गया था कि राजस्व प्राधिकारी अलवर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में चुनौती देनी चाहिये थी, उनके आदेशानुसार ही उनका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो सकता है एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर बानसूर के समक्ष विचाराधीन वाद के निस्तारण के पश्चात ही अपीलांट राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने के हकदार है। बिना सक्षम न्यायालय के पारित निर्णय व डिक्री के अपीलांट को उक्त विरासत के नामान्तकरण को चुनौती देने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। उक्त 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर कोटपूतली बहरोड द्वारा विधि के सभी सिद्धान्तों को देखते हुये निर्णय पारित किया गया है और अपीलांट की अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. को खारिज किया जाकर अपील को भी खारिज किया गया है जो विधि अनुसार सही है। जिसमें तनिक मात्र भी गलती नहीं है, इसलिए अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट को न्यायालय राजस्व प्राधिकारी अलवर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को द्वितीय अपील न्यायालय माननीय राजस्व मंडल अजमेर में चुनौती देनी चाहिए थी एवं उनके आदेशानुसार ही उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो सकता था, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश सही है जिसमें कोई त्रुटी नहीं है, इसलिए अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली

बहरोड़ के निर्णय दिनांक 15.05.2024 के विरूद्व पेश किया गया है। जिसके द्वारा अपीलान्ट की अपील प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. पर खारिज की गई है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं विवादित भूमि के सम्बन्ध में पेश किये गये पारित निर्णयों के अवलोकन से जाहिर होता कि मातादीन अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् इस्तकरारहक विरूद्ध छीतर, रामस्वरूप, किशोर पुत्रान रामजीलाल एवं भूरा, मूला पुत्रान मोहन न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें साबिक खसरा नम्बर 257 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा व 258 रकबा 5 बिस्वा के बंदोबस्त सम्वत 2021 में 578 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम खोहरी कायम किये गये। दौराने विचाराधीन दावा न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर में दिनांक 04.02.1997 को राजीनामा पेश कर आराजी खसरा नम्बर 578 रकबा 6 बीघा मौजा खोहरी में वादी 1/3 भाग पर व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 2/3 भाग का काश्तकार होने का पेश किया। राजीनामा के आधार पर न्यायालय ने निर्णय में यह लिखा है कि फूलचंद के वारिस मातादीन का उक्त दस्तावेज के आधार पर हिस्सा 1/2 भाग प्रमाणित होता है जबकि राजीनामा के आधार पर भी रामजीलाल के वारिसान ने मातादीन का हक तो स्वीकार किया है परन्तु उसको 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्सा देना चाहते हैं। राजीनामा के आधार पर दस्तावेजी सबूत को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता जो कानून की दृष्टि में भी उचित नहीं होगा। यदि मातादीन चाहे तो अपना हिस्सा रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर छोड सकता है। उपरोक्त विश्लेषण एवं रिकार्ड के आधार पर सहायक कलक्टर बानसूर ने वादी एवं प्रतिवादी को बराबर आधे-आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया। जिस पर न्यायालय सहायक जिलाधीश बानसूर के द्वारा दिनांक 06.03.1997 को राजस्व रिकार्ड के आधार पर 1/2 वादी को एवं 1/2 प्रतिवादी को काश्तकार घोषित करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के पश्चात् दिनांक 26.02.2001 को अंतिम डिक्री जारी की गई। जिसकी पालना में खसरा नम्बर 1361/716 रकबा 0.75 हैक्ट. का अपीलान्ट एवं खसरा नम्बर 1360/716 रकबा 0.75 हैक्ट. का प्रतिवादी 1 लगायत 3 को व खसरा नम्बर 715 रकबा 0.01 हैक्ट. का वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 3 को 1/2, 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। जिसकी अपील प्रतिवादी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहॉ किये जाने पर प्रकरण दिनांक 01.11.2012 को पुनः रिमाण्ड किये जाने पर प्रतिवादीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहत अदालत में पेश कर राजस्व अंकन में दर्ज वादी के नाम को हटवाने के लिए पेश किया। जिस पर सहायक जिलाधीश बानसूर के द्वारा बगैर वादी को सुने वादी के नाम को राजस्व रिकार्ड से हटाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये और वादी का नाम हटाया जाकर खसरा नम्बर 716 का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसका राजस्व रिकार्ड के अमल में होने पर प्रतिवादीगण के द्वारा आराजी मुतनाजा को बेचान करने की धमकी दी गई, तो उक्त दावों में एक प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के द्वारा अपील भू प्रबन्ध एवं राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के समक्ष पेश करने पर तहत अदालत के आदेश का प्रचलन स्थगित कर दिया गया और तहत अदालत तहसीलदार बानसूर के द्वारा यह जानते हुए विवादित आराजी के बाबत न्यायालय के समक्ष विवाद लम्बित है, जिसमें खातेदारी अधिकारों का निर्णय होना है, बगैर अपीलांट को सुने ही अपीलाधीन आदेश इंतकाल संख्या 1858 वाके ग्राम खोहरी तहसील बानसूर दिनांक 16.06.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के हक में स्वीकृत कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर कोटपूतली बहरोड ने उनके समक्ष अपीलांट मातादीन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी०पी०सी० को समझे बिना खारिज करने में अपने विवेक व क्षेत्राधिकार का न्याय सम्मत उपयोग नहीं किया है। कानूनन पीड़ित पक्षकार को अपील पेश करने का वैधानिक अधिकार है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिसका दस्तावेजों के आधार पर परीक्षण किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण की भूमि अपीलांट की पैतृक भूमि है। जिसका विस्तृत विश्लेषण सहायक कलक्टर बानसूर द्वारा अपने निर्णय में किया जा चुका है और राजीनामा के माध्यम से रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त तथ्य को स्वीकार भी किया जा चुका है। अतः अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी०पी०सी० को खारिज कर अपील को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :– अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर